भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *104

उत्तर देने की तारीख 28 जुलाई, 2025

6 श्रावण, 1947 (शक)

खेलो भारत नीति

†*104. डॉ. के. सुधाकर:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में शुरू की गई 'खेलो भारत नीति' के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है और इससे देश के युवा एवं महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों को किस प्रकार सहायता मिलने की संभावना है;

(ख) क्या 'खेलो भारत नीति' में खेलों को समावेशी बनाने और महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों के लिए खेल प्रशिक्षण को किफायती बनाने के प्रावधान किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त पहल के अंतर्गत महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है तथा विशेषकर ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न छोटे क्लबों को क्या सहायता प्रदान की जा रही है; और

(घ) ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

'खेलो भारत नीति' के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. के. सुधाकर द्वारा दिनांक 28/07/2025 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *104 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): सरकार ने हाल ही में दिनांक 01.07.2025 को खेलो भारत नीति-2025 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य भारत में एक सुदृढ़, समावेशी और प्रदर्शन-संचालित खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इस नीति का विजन "राष्ट्र निर्माण के लिए खेल - राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग" है। इस विजन को साकार करने के लिए, नीति कई प्रमुख उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करती है, जो इस प्रकार हैं:

(i) जमीनी स्तर से लेकर विशिष्ट स्तर तक, सभी भागीदार समूहों के लिए एक व्यापक खेल कार्यक्रम स्थापित करना।

(ii) एक सुदृढ़ प्रतिस्पर्धी संरचना का निर्माण करते हुए विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं और लीगों का आयोजन करना।

(iii) खेल और शारीरिक गतिविधि की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक साक्षरता पहलों को क्रियान्वित करना।

(iv) भविष्य के चैंपियनों को तैयार करने के लिए एक सुदृढ़ प्रतिभा पहचान और विकास प्रणाली विकसित करना।

(v) देश भर की खेल अवसंरचनाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।

(vi) खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए एथलीट-केंद्रित सहायता प्रणालियाँ प्रदान करना।

(vii) प्रदर्शन और कल्याण को बढ़ाने के लिए खेल विज्ञान, चिकित्सा और नवाचार को बढ़ावा देना।

(viii) खेल के क्षेत्र में अभिशासन और संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करना।

(ix) खेलों का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए वित्त पोषण तंत्र में सुधार करना।

(x) खेल-संबंधी उद्योगों और गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

(xi) खेलों के माध्यम से सामाजिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना।

(xii) युवाओं के लिए खेलों को एक व्यवहार्य करियर विकल्प के रूप में स्थापित करना।

(xiii) एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए खेलों और फिटनेस गतिविधियों में व्यापक सहभागिता को प्रोत्साहित करना।

(xiv) चैंपियन एथलीटों के साथ-साथ सन्यास ले चुके एथलीटों को पुरस्कृत और मान्यता प्रदान करने के लिए एक मज़बूत तंत्र विकसित करना।

(xv) खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संस्थानों को पोषक संस्थानों के रूप में

कार्य करने हेतु एक ढाँचा और दिशानिर्देश विकसित करना।

(ख): जी, हाँ। खेलो भारत नीति में खेलों को समावेशी और किफायती बनाने के प्रावधान शामिल हैं। इसमें महिलाओं, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों सहित सभी पृष्ठभूमि के एथलीटों के लिए खेल प्रशिक्षण और सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करके ग्रामीण-शहरी अंतर को दूर करने पर बल दिया गया है। यह नीति प्रशिक्षण लागत को कम करने और पहुँच बढ़ाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम, सामुदायिक भागीदारी और हितधारकों के साथ साझेदारी के साथ खेलों के एकीकरण पर बल देती है।

(ग): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक खिलाड़ियों/स्थानीय खेल क्लबों को वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित खेलों के प्रचार और विकास की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, केंद्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता करती है, जैसे कि (i) खेलो इंडिया स्कीम (ii) टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) (iii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम (iv) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन हेतु खेल निधि स्कीम, और (vi) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के पदक विजेताओं और उनके कोच के लिए नकद प्रोत्साहन स्कीम। इन सभी स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट https://yas.nic.in/sports/schemes पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(घ): भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाना भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की ज़िम्मेदारी है और ओलंपिक के लिए मेजबानी के अधिकारों का आवंटन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा एक विस्तृत मेजबान चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसी प्रक्रिया में आईओए ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए भारत की बोली प्रस्तुत की है। यह बोली अब आईओसी के साथ "निरंतर संवाद" चरण में पहुँच गई है।

*****